सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 वैशाख, 1948 (श०)

संख्या - 209 राँची, बुधवार, 6 मई, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

16 अप्रैल, 2026

संख्याः-07/कोर्ट-05-02/2021 का० 2221--विभागीय अधिसूचना संख्या-10505, दिनांक-31.12.2019 द्वारा श्री शिव कुमार सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान आप्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची को आशुटंकक के पद पर योगदान की तिथि (दिनांक-15.05.1978) से 24 वर्षों की सेवा के उपरांत दिनांक-15.05.2002 से आप्त सचिव के वेतनमान-6500-10500 में द्वितीय ए०सी०पी० का लाभ एवं 30 वर्षों की सेवा के उपरांत दिनांक-01.09.2008 से वेतनमान पी०बी०-2, ग्रेड वेतन-5400/- में तृतीय एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान किया गया है एवं श्री महेश प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त आप्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची को आशूटंकक के पद पर योगदान की तिथि (दिनांक-28.12.1973) से 24 वर्षो की सेवा के उपरांत दिनांक-09.08.1999 से आप्त सचिव के वेतनमान-6500-10500 में द्वितीय ए०सी०पी० का लाभ एवं 30 वर्षों की सेवा के उपरांत दिनांक-01.09.2008 से वेतनमान पी०बी०-2, ग्रेड वेतन-5400/- में तृतीय एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान किया गया है ।

2. उक्त विभागीय अधिसूचना संख्या-10505, दिनांक-31.12.2019 के विरुद्ध श्री शिव कुमार सिंह एवं श्री महेश प्रसाद शर्मा के द्वारा 24 वर्षों की सेवा पूर्ण करने के उपरांत वेतनमान-6500-10500 में द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ तथा 30 वर्षों की सेवा पूर्ण करने के उपरांत वेतनमान पी०बी०-2, ग्रेड वेतन-5400/- में प्रदान की गई संशोधित वित्तीय उन्नयन के लाभ को निरस्त करते हुये द्वितीय वित्तीय उन्नयन के तहत वेतनमान 10000-15200 देने एवं तदनुसार तृतीय संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में W.P.(S) No. 2899/2021-शिव कुमार सिंह एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया ।

3. उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-11.06.2024 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः

"5. The arguments advanced by learned counsel for the State is not accepted to this Court. While granting benefits of ACP and fixation of pay scale, one parameter has to be adopted. There cannot be two parameters for similarly situated persons of the State. There cannot be class amongst the class. There has to be rational classification. The stand of the respondents-State is not praiseworthy. The petitioner's claim for second ACP and thereafter deduction of the amount was subject matter of challenge in W.P.(S) No.1569 of 2006 and the same was upheld in L.P.A. No. 504 of 2017. In view of order passed by this court and in view of specific direction issued by the Hon'ble Patna High Court in C.W.J.C. No. 14518 of 2013, petitioners are also entitled for the same and similar benefits, which has been to one Radhika Raman Prasad.

6. As a sequitur to the facts and circumstances discussed herein above, the part of memo no.10505, dated 31.12.2019 is hereby quashed and set aside. The respondents are directed to reconsider case of the petitioners for grant of benefits wchich has been given to Radhika Raman Prasad i.e. 2nd ACP in the pay scale of Rs. 10,000-15,200 and 3rd MACP in the next admissible scale accordingly. Let the entire exercise be completed within a period of 12 weeks from the date of receipt/ production of a copy of this order.

7. The writ petition stands allowed."

4. (i) श्री शिव कुमार सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान आप्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् है:-

(क) श्री शिव कुमार सिंह की नियुक्ति एकीकृत बिहार राज्य में आशुटंकक के पद पर दिनांक 15.05.1978 को हुई थी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-708, दिनांक-07.08.1987 के द्वारा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय में दिनांक-10.07.1979 के पूर्व में कार्यरत आशुटंकक के पदों को निजी सहायक के वेतनमान में उत्क्रमण के निर्णय के उपरांत श्री शिव कुमार सिंह द्वारा दिनांक-11.08.1987 को निजी सहायक का पदभार ग्रहण किया गया ।

(ख) झारखण्ड राज्य गठन के उपरांत कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश संख्या-351, दिनांक-16.12.2004 द्वारा वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के

संकल्प संख्या-5207, दिनांक-14.08.2002 के आलोक में निजी सहायक के पद पर नियुक्ति की तिथि से 12 वर्षों की सेवा पूरी होने की तिथि (दिनांक-09.08.1999) से प्रथम वित्तीय उन्नयन वेतनमान-(6500-10500) एवं 24 वर्षो की सेवा पूरी होने की तिथि (दिनांक-15.05.2002) से द्वितीय वित्तीय उन्नयन वेतनमान-(10000-15200) की स्वीकृति प्रदान की गई ।

(ii) अन्य वादी, श्री महेश प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त आप्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् है:-

(क) श्री महेश प्रसाद शर्मा की नियुक्ति एकीकृत बिहार राज्य में आशुटंकक के पद पर दिनांक 28.12.1973 को हुई थी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-708, दिनांक-07.08.1987 के द्वारा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय में दिनांक-10.07.1979 के पूर्व में कार्यरत आशुटंकक के पदों को निजी सहायक के वेतनमान में उत्क्रमण के निर्णय के उपरांत श्री महेश प्रसाद शर्मा द्वारा दिनांक-11.08.1987 को निजी सहायक का पदभार ग्रहण किया गया ।

(ख) झारखण्ड राज्य गठन के उपरांत कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश संख्या-351, दिनांक-16.12.2004 द्वारा वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-5207, दिनांक-14.08.2002 के आलोक में निजी सहायक के पद पर नियुक्ति की तिथि से 12 वर्षो की सेवा पूरी होने की तिथि (दिनांक-11.08.1999) से प्रथम वित्तीय उन्नयन वेतनमान-(6500-10500) की स्वीकृति प्रदान की गई ।

(iii) इसके उपरांत विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-07, दिनांक-17.01.2005 द्वारा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-351, दिनांक-16.12.2004 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री शिव कुमार सिंह को दिनांक-12.08.1999 से प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान किया गया एवं दिनांक-15.05.2002 से स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उन्नयन के लाभ को निरस्त कर दिया गया ।

(iv) उक्त आदेश के विरूद्ध श्री शिव कुमार सिंह, तत्कालीन निजी सहायक एवं अन्य के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में W.P.(S) No. 1569/2006-शिव कुमार सिंह एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया। जिसमें दिनांक-21.07.2017 को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्न प्रकार है :-

".....Thus the office order, as contained in Memo No 5/vivid-19-13/2002 ka 121/Ranchi, dt 15 January 2005 and the Order No 5/vivid-19-13/2002 ka 07/Ranchi, dt 17 January 2005, are & hereby quashed. The respondents are directed to re-calculate the benefits of Time bound promotions and the ACPs granted to the petitioners counting the period of service from their initial appointment i.e from the date they were appointed as Steno-Typist and not from the date they were appointed as Personal Assistant in the Secretariat Cadre. Necessary corrections are accordingly required to be made by shifting their initial date of appointment. This process of rectification must be done by the respondent No 02 within a period of eight weeks from the date of presentation of a copy of this order before him by the petitioners. All the consequential monetory benefits will also be extended to the petitioners within a period of four weeks, thereafter....."

उक्त आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में LPA No.-504/2017 दायर किया गया। LPA No.-504/2017 में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक-25.02.2019 को पारित न्याय-निर्णय का अंश निम्न प्रकार है-

".....We have once again scrutinized the entire material brought on record and we find that the learned writ Court, in the above facts, has rightly conclude that the writ-petitioners are entitled for 1st and 2nd ACP benefits with effect from the date of their initial appointment as Steno-Typist and, accordingly, quashed the impugned orders dated 15-01-2005 and 17-01-2005. It is really bizzare to contend that on upgradation of a post or merger with another cadre it would become a fresh appointment. May be, the date of merger is relevant for preparing a gradation/seniority list, but in service jurisprudence ther is no such proposition that in the event of upgradation or merger an employee would be treated as a fresh appointee.

Finding no infirmity in the impugned order dated 21.07.2017 passed in W.P(S) No. 1569 of 2006, L.P.A No. 504 of 2017 is dismissed, however, without costs."

(v) तदोपरांत वादीगण श्री शिव कुमार सिंह एवं अन्य के द्वारा W.P.(S) No. 1569/2006 में दिनांक-21.07.2017 को पारित आदेश के अनुपालन नहीं किए जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय में Cont. (Civil) case no.-753/2017 (शिव कुमार सिंह एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य) दायर किया गया।

(vi) WP(S) No- 1569/2006 शिव कुमार सिंह एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक-21.07.2017 को पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में विद्वान महाधिवक्ता से परामर्श प्राप्त किया गया जो निम्नवत् हैः

".....For the foregoing reasons, I am of the opinion that the judgment passed by the writ Court needs to be implemented forthwith subject to the above condition....."

प्रासंगिक मामले में वादीगण को ए०सी०पी० के तहत देय वेतनमान के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग के द्वारा निम्नवत परामर्श प्राप्त हुआ :-

".....वर्णित परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि आशुटंकक से निजी सहायक में पद एवं वेतन का उत्क्रमण हुआ है, अतएव इसे एक वित्तीय उन्नयन मानकर आशुटंकक के पद पर नियुक्ति की तिथि से 24 वर्षों की गणना कर इन आवेदकों को द्वित्तीय ए०सी०पी० का लाभ प्रदान कर अवमाननावाद का अनुपालन किया जा सकता है, जो दायर Review Petition से प्रभावित होगा। इन्हें 2nd ए०सी०पी० का लाभ वरीय निजी सहायक/आप्त सचिव के वेतनमान 6500-10,500 में अनुमान्य होगा ।''

उपरोक्त के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-10505, दिनांक-31.12.2019 द्वारा श्री शिव कुमार सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान आप्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची को आशुटंकक के पद पर योगदान की तिथि (दिनांक-15.05.1978) से 24 वर्षो की सेवा के उपरांत दिनांक-15.05.2002 से आप्त सचिव के वेतनमान-6500-10500 में द्वितीय ए०सी०पी० का लाभ एवं 30 वर्षो की सेवा के उपरांत दिनांक-01.09.2008 से पी०बी०-2, ग्रेड वेतन-5400/- में तृतीय एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान किया गया है ।

उक्त विभागीय अधिसूचना संख्या-10505, दिनांक-31.12.2019 द्वारा श्री महेश प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त आप्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची को आशुटंकक के पद पर योगदान की तिथि (दिनांक-28.12.1973) से 24 वर्षो की सेवा के उपरांत दिनांक-09.08.1999 से आप्त सचिव के वेतनमान 6500-10500 में द्वितीय ए०सी०पी० का लाभ एवं 30 वर्षो की सेवा के उपरांत दिनांक-01.09.2008 से पी0बी0-2, ग्रेड वेतन-5400/- में तृतीय एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान किया गया है ।

(vii) वादीगण, श्री शिव कुमार सिंह एवं श्री महेश प्रसाद शर्मा द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-10505, दिनांक-31.12.2019 के द्वारा 24 वर्षो की सेवा पूर्ण करने के उपरांत वेतनमान-6500-10500 में द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ तथा 30 वर्षो की सेवा पूर्ण करने के उपरांत प्रदान की गई संशोधित वित्तीय उन्नयन के लाभ को निरस्त करते हुये द्वितीय वित्तीय उन्नयन के तहत वेतनमान 10000-15200 देने एवं तदनुसार तृत्तीय संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में W.P.(S) No. 2899/2021-शिव कुमार सिंह एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया।

(viii) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(S) No. 2899/2021-शिव कुमार सिंह एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-11.06.2024 को पारित आदेश में विभागीय अधिसूचना संख्या-10505, दिनांक-31.12.2019 के द्वारा वादीगण, श्री शिव कुमार सिंह एवं श्री महेश प्रसाद शर्मा को प्रदान की गई वित्तीय उन्नयन के लाभ को निरस्त कर दिया गया है एवं वादीगण के मामले पर पुनर्विचार करते हुए एक अन्य कर्मी श्री राधिका रमण प्रसाद, सेवानिवृत्त आप्त सचिव को प्रदान किये गए द्वितीय वित्तीय उन्नयन वेतनमान 10000-15200 एवं अनुमान्य तृतीय संशोधित वित्तीय उन्नयन के अनुरूप लाभ प्रदान करने का आदेश दिया गया है ।

(ix) श्री राधिका रमण प्रसाद की आशुटंकक (पुनरीक्षित वेतनमान 680-965) के पद पर नियुक्ति दिनांक-20.07.1974 को की गई थी। इसके उपरांत श्री राधिका रमण प्रसाद की निजी सहायक (वेतनमान 785-1510) के पद बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विशेष प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर दिनांक-15.01.1986 के प्रभाव से की गई थी। जबकि वादीगण श्री शिव कुमार सिंह एवं अन्य की निजी सहायक (785-1210) के पद पर नियुक्ति आशुटंकक (680-965) के पद से उत्क्रमण के फलस्वरूप की गई थी। वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-8824, दिनांक-21.09.2011 के द्वारा विशेष प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त निजी सहायकों में से 27 निजी सहायकों को आशुटंकक के पद पर नियुक्ति की तिथि से सेवा की गणना हेतु सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन नियमावली, 2003 के नियम 4(2) का एक बार (one time) शिथिलीकरण किया गया। श्री राधिका रमण प्रसाद, से०नि० आप्त सचिव, माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर याचिका CWJC No-14518/2013 (राधिका रमण प्रसाद बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य) में दिनांक-17.11.2016 में पारित न्यायादेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आदेश सं0-10115, दिनांक-08.08.2017 द्वारा श्री प्रसाद को ए०सी०पी० योजना के तहत प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ दिनांक-09.08.1999 (श्री प्रसाद के पूर्ववर्ती, बिहार राज्य में पदस्थापन की अवधि) के प्रभाव से क्रमशः वेतनमान 6500-10500 एवं वेतनमान 10000-15200 में प्रदान किया गया था। ऐसी परिस्थिति में झारखण्ड सरकार द्वारा इन्हें नियमानुसार परिणामी लाभ के रूप में एम०ए०सी०पी० योजना के तहत कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक-2122, दिनांक-24.02.2018 द्वारा श्री प्रसाद की इनके आंशुटंकक के पद पर

नियुक्ति की तिथि (20.07.1974) सेवा अवधि की गणना करते हुए 30 वर्षों की सेवा पूर्ण होने के उपरांत एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत इस योजना के वेतनमान PB-III, 15600-39100, ग्रेड पे0-7600/- में सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसके आधार पर विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में LPA No-83/2025 दायर किया गया। उक्त LPA No. 83/2025 में सुनवाई प्रक्रियाधीन है ।

(x) W.P.(S) No. 2899/2021-शिव कुमार सिंह एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-11.06.2024 को पारित आदेश के अनुपालन नहीं किए जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय में अवमाननावाद Cont. (Civil) Case No. 1052/2024 दायर किया गया है। अवमाननावाद Cont. (Civil) Case No. 1052/2024 में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक-06.02.2026 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

"From the argument of learned counsel for the parties, I am of the impression that the order dated 11.06.2024 passed in W.P.(S) No. 2899 of 2021 has not yet been complied with.

In the view, office is directed to issue notice to the opposite parties/contemnors in terms of Rule 393 of the High Court of Jharkhand Rules to show cause as to why not a proceeding for contempt be initiated and charge be framed against them.

Let copy of this order be given to the counsel for the opposite parties."

(xi) तदालोक में अवमानावाद वाद सं० Cont. (Civil) Case No. 1052/2024 शिव कुमार सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 06.02.2026 को पारित आदेश के आलोक में WP(S) No. 2899/2021 शिव कुमार सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.06.2024 को पारित न्याय निर्णय के अनुपालन में श्री शिव कुमार सिंह एवं अन्य को श्री राधिका रमण प्रसाद के समरुप वित्तीय उन्नयन देने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग का मंतव्य प्राप्त हुआ कि उक्त पर विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त कर लिया जाय ।

(xii) वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में विद्वान महाधिवक्ता का मंतव्य प्राप्त किया गया, जिसका मुख्य अंश निम्न प्रकार हैं-

"The Government authority cannot deny compliance with a court order in absence of stay order, on the grounds that it contradict government resolution/circular or administrative policy as the direction of hon'ble court is binding upon the parties as the Article 226(1) of constitution of India empowers the High Court to issue direction, orders or writs to any person or Authority including in appropriate cases any government with in the territories."

(xiii) तदालोक में वादीगण को ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने हेतु सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 13.04.2026 को स्क्रीनिंग समिति की बैठक आहूत की गयी। बैठक में समिति के समक्ष यह तथ्य आया कि श्री शिव कुमार सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान आप्त सचिव एवं श्री महेश प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त आप्त सचिव को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-708, दिनांक-07.08.1987 के द्वारा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय में दिनांक-10.07.1979 के पूर्व

में कार्यरत आशुटंकक के पदों को निजी सहायक के वेतनमान में उत्क्रमण के निर्णय के आलोक में आशुटंकक से निजी सहायक के पद पर स्थायी रुप से उत्क्रमित किया गया है, जबकि वित्त विभाग के संकल्प सं० 5207, दिनांक 14.08.2002 आशुटंकक से निजी सहायक में पद का उत्क्रमण के अनुमान्यता के संबंध में किसी प्रकार का नियम का उल्लेख नहीं है। अतएव समिति के द्वारा श्री शिव कुमार सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान आप्त सचिव एवं श्री महेश प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त आप्त सचिव को ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने की अनुशंसा की गई ।

5. उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में WP(S) No. 2899/2021 शिव कुमार सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.06.2024 को पारित न्याय निर्णय से उद्भूत अवमानावाद वाद सं० Cont. (Civil) Case No. 1052/2024 शिव कुमार सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 06.02.2026 को पारित आदेश के आलोक में श्री शिव कुमार सिंह एवं श्री महेश प्रसाद शर्मा को निम्नवत् ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान किया जाता है :-

क्र० सं०	**नाम एवं पदनाम**	**जन्मतिथि सेवानिवृति तिथि**	**नियुक्ति तिथि सम्पुष्टि तिथि**	**अनुमान्य वित्तीय उन्नयन**
1.	श्री शिव कुमार सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान आप्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची।	05.01.1957 31.01.2017	15.05.1978 13.10.1986	(i) दिनांक-15.05.2002 के प्रभाव से वेतनमान 10000-15200 में द्वितीय ए०सी०पी० (ii) दिनांक-01.09.2008 के प्रभाव से वेतनमान पी०बी०-3, ग्रेड वेतन-7600/- में तृतीय एम०ए०सी०पी०
2.	श्री महेश प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त आप्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची।	07.05.1951 31.05.2011	28.12.1973 01.04.1974	(i) दिनांक-09.08.1999 के प्रभाव से वेतनमान 10000-15200 में द्वितीय ए०सी०पी० (ii) दिनांक-01.09.2008 के प्रभाव से वेतनमान पी०बी०-3, ग्रेड वेतन-7600/- में तृतीय एम०ए०सी०पी०

उपर वर्णित पदधारकों को आशुटंकक के पद पर नियुक्ति की तिथि से निजी सहायक के पद की सेवा की गणना करते हुये ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० योजना के तहत वित्तीय उन्नयन का लाभ निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जायेगी :-

(क) उपर्युक्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ की स्वीकृति विभाग द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर LPA No- 83/2025 के फलाफल से प्रभावित होगा ।

(ख) यदि प्रदत्त वित्तीय उन्नयन का लाभ के फलस्वरूप वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा वेतन निर्धारण / वेतन सत्यापन के क्रम में त्रुटि पायी जाती है या अन्य किसी स्तर पर किसी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है, तो उक्त के अनुरूप प्रदत्त वित्तीय उन्न्यन में संशोधन किया जाएगा तथा अतिरिक्त भुगतान की गयी राशि की वसूली कर ली जायेगी ।

(ग) वादीगण को ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के तहत उपर्युक्त लाभ की स्वीकृति WP(S) No. 2899/2021 शिव कुमार सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-11.06.2024 को पारित न्याय निर्णय से उद्भूत अवमानावाद वाद सं० Cont. (Civil) Case No. 1052/2024 शिव कुमार सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-06.02.2026 को पारित आदेश के आलोक में प्रदान की गयी है। इसे पूर्वोद्धारण नहीं माना जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रज माधव,
सरकार के उप सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 209 - 50